निग / 2836 / II / 15

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0

निगरानीप्रकरण क्र0/   /015

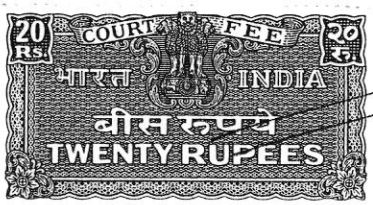

Rs. 20/-

248
9.7.15

पारसनाथ तिवारी तनय श्री स्व0रामगोपालतिवारीउम्र-60 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम गंगापुर (भटलो) तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

----आवेदक/निगराकार

बनाम

लालमणि तिवारी तनय स्व0श्रीरामकृष्ण तिवारी उम्र-70 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम भटलो (गंगापुर) तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

----अना0/गैर निगराकार

मनोज तिवारी 09.7.15
द्वारा ... प्रस्तुत किया ...
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवाके अपील प्र0क्र0 633/अपील/14-15 आदेश दिनांक 19.06.015 मे पारित ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधारो परप्रस्तुत है :-

(01) यह कि अधीनस्थ न्यायालयका आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(02) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि प्रक्रियाका बिना पालन किए कायमी बिन्दु पर सुनवाईकर बिना अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेख तलब किए ही प्रारम्भिक सुनवाई मे ही अपील को निरस्त करने मे महान् भूलकीहै, जो संहिता मे निहित प्रावधानोके विपरीतहोने सेनिरस्तगी योग्य है ।

(03) यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्यादेश मे लेख कियाहै कि अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्डका अवलोकन किए जबकि जब अधीनस्थ न्यायालय का

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2836/I/15 .... जिला रीवा

पारसनाथ विरुद्ध लालमणि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.2.16	यह निगरानी रीवा सम्भाग के अपर आयुक्त के प्र०क्र० 633/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 19-6-15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी एवं अनावेदक के विरुद्ध कर्ता के अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र मिश्रा उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्क में कहा कि अधी० न्यायालय का यह अंकित करना कि बटवारा पुस्ती व नामांतरण पंजी में आवेदक के हस्ताक्षर हैं उचित नहीं है क्योंकि अधी० न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि उक्त अभिलेख पर हस्ताक्षर करते समय अनावेदक के हिस्से में खसरा क्रमांक 100/1 रकबा 0.16 हे० अंकित था जो हस्ताक्षर करवाने के बाद कपट एवं छल पूर्वक राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर नामांतरण पंजी एवं बटवारा पुस्ती में काटछांट करते हुए भूमि खसरा क्रमांक 100/1 रकबा 0.1600 पर गोला लगाकर उसके स्थान पर आवेदक की भूमि खसरा क्र० 256/3 रकबा 0.6100 अंकित कर दिया गया। इस तथ्य पर अधी० न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया कि खसरा क्र० 256/3 का जब अनावेदक सहखातेदार ही नहीं था तथा बटवारा एवं नामांतरण में विधिवत संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में सहखातेदार होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनः उल्लेखित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अनावेदक के विरुद्ध कर्ता के अधिवक्ता द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए आवेदक अधिवक्ता के तर्कों को बेबुनियाद एवं अभिलेख के प्रतिकूल बताते हुए निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 19-6-15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। आक्षेपित	

[क्र. प. उ.

R. 2336/II/15 | रीवा

स्थान तथा दिनांक	पारसनाथ — कार्यवाही तथा आदेश — कोसमबाई	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश दिनांक 19.6.15 एवं 22-6-15 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधी० न्याया० द्वारा यह अंकित करते हुए निर्णय लिया है कि नामांतरण पंजी एवं बटवारा पुस्तिका पर आवेदक पारसनाथ के हस्ता० थे ऐसी स्थिति में यह कहा जाना कि उन्हें जानकारी नहीं थी यह स्वीकार योग्य न होने की स्थिति में अनु० अधि० के आदेश दिनांक 13-5-15 को सही ठहराते हुए निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त कर दी गई है।	
	इसके साथ ही आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके द्वारा प्रकरण में उठाये गये तथ्यों की पुष्टि हो सके। जहाँ तक जानकारी न होने का प्रश्न है तो आवेदक अधि० द्वारा अपने तर्क में यह स्वीकार किया गया है कि नामांतरण पंजी एवं बटवारा पुस्तिका पर उसके हस्ता० है किन्तु हस्ता० के बाद काटपीट के संबंध में उठाई गई आपत्ति के संबंध में कोई तथ्यात्मक तथा अभिलेखीय आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता कि खसरा क्रमांक 100/1 के स्थान पर सर्वे क्रमांक 256/3 अंकित कर दिया गया हो।	
	अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19.6.15 एवं 22-6-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधी० न्याया० को भेजी जावे। प्र०दा०रि० हो।	
	(हस्ताक्षर) 10.2.16 सदस्य	